HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

// MEMO //

No. B/5859 /
V-5-4/74

Jabalpur, dated 30/11/2019

To,

The District & Sessions Judges,
All Districts of Madhya Pradesh

Sub:- Regarding retention/vacation of Govt. Residential Accommodations by Judicial Officers on their transfer.

Ref:- Registry memo no. C/2155, dated 06th May 2019.

--00--

As directed, on the subject cited above, in continuation of above referred memo, I am to request you to circulate the following norms amongst the Judicial Officers posted in your District for strict compliance:-

(a) After transfer, the Judicial Officers may be permitted to occupy the Govt. Residential Accommodations, at their previous place of posting, free of rent for maximum period of 15 days from the last date of joining mentioned in their transfer order.

(b) In case of non-vacation of govt. residences after the said period, such act of a Judicial Officer will be treated as violation of Rule 3(1) (iii) of Civil Services (Conduct) Rules, 1965 amounting to "misconduct", for which disciplinary action may be taken against the responsible Judicial Officers.

(c) In addition to above the concerned Judicial Officers shall also, be liable for payment of penal rent in accordance of type of residential accommodation occupied by them as per order no. F01-25/2013/II-m(3), dated 11/09/2014 issued by Govt. of M.P., Department of Home.

(d) In case, if the transferred Judicial Officer simultaneously keeps in possession the Govt. Residential Accommodation at the new place of posting as well as the previous place of posting, in such scenario, penal rent at market rate shall be charged from the date of such double occupation and other legal action may be initiated against them.

Encl:- as above

30.11.19

(SANAT KUMAR KASHYAP)
REGISTRAR (W.&I.)

--00--

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR
-::- MEMORANDUM -::-

No. **C/2155** /
V-5-4/74 (All District)

Jabalpur, dated **6h May, 2019**

To,

The District & Sessions Judge,

ALL (M.P.)

Subject:- Non-vacation of Govt. and rented residential accommodations by Judicial Officers after transferred.

Ref. :- Registry Memo No. 640 dated 21-05-2018.

.....

As directed, in continuation of above referred Registry Memo on subject cited above, I am to apprise you that it has been brought to the notice of Registry that even after circulation of memo no. 489/475/1 (3) (71) Bhopal, dated 08-09-1971 issued by General Administrative Department of Govt. of M.P., many Judicial Officers posted in various Establishments in the State of Madhya Pradesh are not vacating Govt. residential accommodations, at previous place of posting, even after transfer, which is causing a great inconvenience and discomfort to successor Judicial Officers and also amounts to unauthorized possession of the Government Accommodation. Such act of a Judicial Officer is a clear violation of Rule 3 (1) (iii) of M.P. Civil Services (Conduct) Rules, 1965 amounting to misconduct, for which disciplinary action may be taken against the responsible Judicial Officers. In addition to this concerned Judicial Officers shall also, be liable for payment of penal rent as per existing Rules and other legal action may be initiated against them.

Therefore, as directed, while appending Memo 489/475/1 (3) (71) Bhopal, dated 08-09-1971 issued by General Administration Department of Government of M.P., I am to request you to re-circulate the same amongst the Judicial Officer posted in your District for strict compliance and to send acknowledgement of receiving the same from them, to this Registry.

6/5/19

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 11/09/2014

एफ 01–25/2013/दो–ए(3) :: भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम–2000 में किए गये संशोधन दिनांक 04.10.2013 के फलस्वरूप राज्य शासन एतद द्वारा भोपाल स्थित शासकीय आवास गृहों के लिए लायसेंस शुल्क (किराया वसूली) की दरें दिनांक 01 अक्टूबर 2014 से निम्नानुसार निर्धारित करता है :–

1. शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी को आवास आवंटन

क.	आवास श्रेणी	वेतनमान	मूलभूत नियम 45 "ए" के अधीन मासिक किराया	मूलभूत नियम 45 "बी" के अधीन मासिक किराया	अनधिकृत आधिपत्य होने पर दांडिक मासिक किराया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	'बी'	67000 से अधिक	3000	6000	30000
2	'सी'	37400+10000 ग्रेड–पे या अधिक	2400	4800	24000
3	'डी'	37400+8700 ग्रेड–पे या अधिक	1800	3600	18000
4	'ई'	15600+6600 ग्रेड–पे या अधिक	1500	3000	15000
5	'एफ'	15600+5400 ग्रेड–पे या अधिक	900	1800	9000
6	'जी'	5200+2800 ग्रेड–पे या अधिक	600	1200	6000
7	'एच'	5200+1900 ग्रेड–पे या अधिक	300	600	3000
8	'आई'	चतुर्थ श्रेणी	100	200	1000

2. सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओ, मान्यता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी संगठनों तथा राज्य के सार्वजनिक उपकम के अधिकारी/कर्मचारीगण को आवास आवंटन

क.	आवास श्रेणी	सामान्य दर	अनधिकृत आधिपत्य होने पर दांडिक मासिक किराया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	'बी'	12000	30000
2	'सी'	9600	24000
3	'डी'	7200	18000
4	'ई'	6000	15000
5	'एफ'	3600	9000
6	'जी'	2400	6000
7	'एच'	1200	3000
8	'आई'	400	1000

3. गणमान्य एवं ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को तथा प्रेस पूल के अन्तर्गत आवास आवंटन

क.	आवास श्रेणी	सामान्य दर	अनधिकृत आधिपत्य होने पर दांडिक मासिक किराया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	'बी'	6000	30000
2	'सी'	4800	24000
3	'डी'	3600	18000
4	'ई'	3000	15000
5	'एफ'	1800	9000
6	'जी'	1200	6000
7	'एच'	600	3000
8	'आई'	200	1000

4. भारत सरकार के अधिकारी/कर्मचारीगण को आवास आवंटन

क.	आवास श्रेणी	सामान्य दर	अनधिकृत आधिपत्य होने पर दांडिक मासिक किराया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	'बी'	आवंटिती को प्राप्त होने वाले गृह भाडा भत्ते के बराबर की राशि	30000
2	'सी'		24000
3	'डी'		18000
4	'ई'		15000
5	'एफ'		9000
6	'जी'		6000
7	'एच'		3000
8	'आई'		1000

2. भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम–2000 में किए गए संशोधन दिनांक 04.10.2013 से नवीन दरों के लागू होने (दिनांक 01.10.2014) के मध्य की अवधि के लायसेंस शुल्क (मासिक किराया) निर्धारण के प्रकरणों का निराकरण पूर्व में प्रचलित नियमों के अंतर्गत किया जावें ।

3. लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी श्रेणी के मकानों में नियमित रूप से संधारण कार्य किया जाये जिससे मकान निवास के लिए उपयुक्त रह सकें।

4. शासकीय आवास गृह में अतिरिक्त निर्माण कार्य कराए जाने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्बन्धित शासकीय आवास मकान की श्रेणी का पुनर्निर्धारण किया जायेगा और तदनुसार लायसेंस शुल्क (मासिक किराया) का निर्धारण किया जाएगा।

5. जिला मुख्यालय एवं संभागीय मुख्यालय स्तर पर शासकीय आवास गृहों के लायसेंस शुल्क (मासिक किराया) का निर्धारण भी उक्तानुसार किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11-9-14

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पृष्ठांकन कमांक एफ 01–25/2013/दो–ए(3) भोपाल, दिनांक 11/09/2014

प्रतिलिपिः–

1. मध्यप्रदेश राज्यपाल के सचिव, भोपाल
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर (आडिट)
3. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य मंत्री कार्यालय, मंत्रालय–भोपाल।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)
6. रजिस्टार, उच्च न्यायालय जबलपुर(मध्यप्रदेश)
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
8. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, मंत्रालय– भोपाल
9. आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली।
10. शासन के समस्त विभाग म. प्र.।
11. समस्त विभागाध्यक्ष म. प्र.।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, (मध्यप्रदेश)
13. समस्त जिलाध्यक्ष(मध्यप्रदेश)
14. संचालक, कोष एवं लेखा संचालनालय, म. प्र.भोपाल।
15. संचालक, संपदा संचालनालय म. प्र. भोपाल।
16. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण मण्डल कमांक–1, 2 एवं 3 भोपाल।
17. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
18. निज सचिव, माननीय मुख्य मंत्रीजी/मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी
    ..... विभाग, भोपाल।

ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11-9-14

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग